रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 403] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 12, 1991/आषाढ़ 21, 1913
No. 403] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 12, 1991/ASADHA 21, 1913

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

जल भूतल परिवहन मंत्रालय

(नौवहन महानिदेशालय)

अधिसूचना

बम्बई, 9 जुलाई, 1991

का.आ. 462(अ) :—नौवहन महानिदेशक, बंबई वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम 1958(1958 का 44) की धारा 7 की उपधारा (2) के अन्तर्गत जल भूतल परिवहन मंत्रालय के आदेश संख्या सी-18018/3/90-एम टी दिनांक 15-5-91 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और जल भूतल परिवहन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचन

संख्या एस.ओ. 314(ई) दिनांक 6 मई, 1991 के संदर्भ में, जिसमें श्री जे.जी. सावंत को एक सदस्यीय अधिकरण, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका सं. 3697 और 3698, दोनों 1990 की, क्रमशः बिजाग ट्रावलर वर्कर्स यूनियन, विशाखा-पत्तनम और आल इंडिया डीप सी फिशिंग टैक्नोक्रेट एसोसिएशन बनाम केन्द्र सरकार एवं अन्य में 17 सितम्बर, 1990 के आदेश तथा उन्हीं पक्षकारों के बीच रिट याचिका संख्या 2707 और 2708, दोनों 1990 की, में दिनांक 15 अक्तूबर, 1990 के अगले आदेश के अनुरूप, वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम 1958(1958 का 44) की धारा 150(1) के अन्तर्गत उपयुक्त यूनियनों और उनके नियोजकों अर्थात् इन रिट याचिकाओं में प्रतिवादी कंपनियों के बीच विवादों का अधिनिर्णयन करने के लिये नियुक्त किया गया है, को विवादों का एतद्द्वारा निम्नलिखित निबंधनों सहित अधिनिर्णयन के लिये अधिकरण को निर्दिष्ट करते हैं :—

1. क्या याचिका सं. 3697, 3698, 2707 और 2708 के उपाबन्धों में सूचीबद्ध व्यक्ति, वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम की धारा 3(42) के अन्तर्गत संबंधित स्वामियों द्वारा नियोजन एवं उन्मोचन के उद्देश्य से "नाविक" की परिभाषा के अन्तर्गत आते हैं,

2. यदि हां, तो क्या व्यक्तियों का उन्मोचन वैध था,

3. यदि उपाबन्धों में सूचीबद्ध व्यक्ति अधिनियम के अन्तर्गत "नाविक" नहीं है, और यदि उनका उन्मोचन किया जाना वैध नहीं था तब उन्मोचित व्यक्ति किसी अनुतोष के हकदार हैं।

[सं. एफ वी-9(1)/90-सी एस]

जे.के. शुक्ला, उप नौवहन महानिदेशक

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Directorate General of Shipping)

NOTIFICATION

Bombay, the 9th July, 1991

S.O. 462 (E).—In exercise of the powers conferred by the Ministry of Surface Transport order No. C-18018|3|90-MT dated 15-5-91 under sub-section (2) of Section 7 of the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958) and with reference to the Ministry of Surface Transport, New Delhi Notification No. S.O. 314 (E) dated 6th May, 1991 wherein Shri J. G. Sawant has been appointed as One Man Tribunal under Section 150 (1) of Merchant Shipping Act, 1958 (44 of

1948) as per the High Court of Andhra Pradesh at Hyderabad, orders dated the 17th September, 1990 in Writ Petition Nos. 3697 and 3698 both of 1990 respectively between Vizag Trawler Workers Union, Visakhapatnam and All India Deep Sea Fishing Technicrate Association, Visakhapatnam versus Central Government and others and further orders dated the 15th October, 1990 in Writ Petition Nos. 2707 and 2708 both of 1990 between the same parties to adjudicate the disputes between the above unions and their employers i.e. the respondent cos. in these writ petitions, the Director General of Shipping, Bombay hereby refers the disputes to the said tribunal for adjudication with the following terms of reference :—

1. Whether persons listed at annexures of the petition Nos. 3697, 3698, 2707 and 2708 come within the definition given of 'Seamen' under section 3 (42) of the Merchant Shipping Act, for the purpose of employment and discharge by the concerned owners.

2. If yes, whether the discharge of the persons was legal.

3. If persons listed at annexures are not 'Seamen' within the said Act and if it was not legal to discharge them, then what relief the discharged persons are entitled to.

[No. FV-9 (1) |90-CS]

J. K. SHUKLA, Dy. Director General of Shipping.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1991